NOVATEUR PUBLICATIONS
JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN No: 2581 - 4230
VOLUME 7, ISSUE 9, Sep. -2021

Pardeep Kumar
Research Scholar
Singhania University, Pacheri Bari

Superviser
Dr. Sharmila
Deptt. of Geography
Singhania University,Pacheri Bari

अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि : एक अध्ययन

Abstract

राजस्थान के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। उसी प्रकार सीकर जिला राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित होने के कारण यहां भी लोगों का मुख्य आधार कृषि है। परन्तु यहां वर्षा की अनिश्चितता उपजाउ मृदा का अभाव, सिंचाई के साधनों की कमी के चलते कृषि अर्थव्यवस्था पिछडी हुई है। कृषिगत फसलों के उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो पाई है। यद्यपि जिले में खनिज संसाधन भी पूर्वी भाग में पाये जाते है, परन्तु वे भी इतने पर्याप्त नहीं है कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के स्वरूप को परिवर्तित किया जा सके। ग्रामीण जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिकांशत कृषि पर ही निर्भर है। कृषि ही केवल ग्रामीण जनसंख्या के व्यवसाय एवं आय का आधार ही नहीं बल्कि औद्योगिक कच्चे माल का स्रोत और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की मुख्य आधारशिला भ्झी है। जिले की कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रों से जो आय होती है वह जिले की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का 49 प्रतिशत है।

NOVATEUR PUBLICATIONS
JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN No: 2581 - 4230
VOLUME 7, ISSUE 9, Sep. -2021

भूमि उपयोगः

भूमि प्रकृति द्वारा प्रदत्त अमूल्य निधि है। भूमि संसाधन आर्थिक क्रियाओं का आधार है। किसी क्षेत्र में भूमि संसाधन की उपयोगिता से क्षेत्र का आर्थिक भू–दृश्य प्रभावित होता है। कृषि की दृष्टि से भूमि संसाधन की समतलता, उपजाउपन पानी की उपलब्धता एवं अन्य अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर प्रभावित होती है।

भूमि उपयोग से तात्पर्य किसी भू–भाग का मानव द्वारा किसी कार्य के लिए प्रयुक्त किये जाने से है। वह प्रयुक्तिकरण कृषि, पशुपालन उद्योग व नगर नियोजन से संबंधित हो सकता है। दूसरी ओर मानव के विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाओं के लिए भी इसे प्रयुक्त किया जा सकता है। भूमि एक सीमित संसाधन है तथा इसके कुछ भाग में ही कृषि कार्य होता है जो कृषि प्रारूप पर आधारित होता है।सीकर जिले का भूमि उपयोग स्वरूप विभिन्न भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के अन्तर्सम्बन्धों पर आधारित है। अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी भाग में डाल व पहाडी भाग होने के कारण कृषि योग्य भूमि का अभाव है जबकि उत्तरी पश्चिमी भाग समतल एवं उपजाउ होने से अधिक क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। आगे तालिका में सीकर जिले में भूमि उपयोग का विस्तृत विवरण दर्शाया गया है। सीकर जिला क्षेत्र की भूमि को उपयोग की दृष्टि से निम्न वर्गो में विभाजित किया जाता है अ. अकृषित भूमि – अकृषित भूमि में वन क्षेत्र, कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में काम में ली गई भूमि जैसे–सडक रेल मार्ग, अधिवासों से अन्तर्गत क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। ब. कृषित भूमि – इस वर्ग में शुद्ध काश्त क्षेत्र, चारागाह भूमि, वृक्षों एवं पेडों के झुण्ड पडत भूमि (चालू एवं पुरातन पडत), कृषि योग्य बंजर भूमि आदि को शामिल किया जाता है।

भूमि उपयोग प्रतिरूप से यह स्पष्ट होता है कि उच्चावच एवं शुष्कता द्वारा निर्धारित सीमाओं के कारण सीकर जिले के अधिकांश भाग का उपयोग कृषिगत कार्यो के लिए नहीं हो सकता है।

वन क्षेत्र :

वन प्रकृति की एक मूल्यवान सम्पदा है। वनस्पति जो मानव के हस्तक्षेप के बिना ही पृथ्वी पर प्रसारित है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। प्राकृतिक संसाधनों में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब से तीन चार शताब्दी पूर्व पृथ्वी का 60 प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक वनों से ढका था। मानव ने वनों का अधिकाधिक शोषण किया और अब धरातल पर केवल 25–30 प्रतिशत भाग पर ही प्राकृतिक वन विद्यमान है जिसका मानव तेजी से शोषण कर रहा है। इस तीव्र शोषण के कारण यह सम्भावना व्यक्त की गई है कि एक समय ऐसा आयेगा कि वन सम्पदा समाप्त हो जायेगी इस दृष्टान्त को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में विश्व के प्रत्येक राष्ट्र की सरकारें अपने अपने देशों में वनो का विकास कर रही है तथा सभी उपयुक्त व उचित स्थानों पर पेड पौधे लगाने के अभियान चला रखे है। प्रत्यक्ष आर्थिक लाभों के अलावा वन मानव के लिए हितकारी एवं उपयोगी है। वन जलवायु के नियंत्रक होते है। ये वायुमण्डल आर्द्रता को ग्रहण कर जलवायु को नम बनाने में सहायक होते है। वनों से मरूस्थल विस्तार को नियंत्रित करने के प्रयास जारी है। वन, मृदा अपरदन को रोकने का कार्य करते है। क्योंकि वृक्षों की जडे भूमि को बांधे रखती है। जल तथा पवन द्वारा भूमि कटाव पर नियन्त्रण करने के लिए वृक्षारोपण किया जाता है। वन बाढ नियन्त्रण में सहायक होते है। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के विवेकहीन शोषण के कारण बाढ की समस्या विकट रूप धारण करती जा रही है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वृक्षारोपण द्वारा इस समस्या पर नियन्त्रण पाने के प्रयास किये जा रहे है।

सीकर जिले का कुल क्षेत्रफल 7,74,244 हैक्टेयर है जिसमें से वन क्षेत्र अर्थात जंगलात वर्ष 2012–13 के अनुसार 60,999 हेक्टेयर पर है जो सीकर जिले की कुल भूमि उपयोग का 7.8 प्रतिशत भाग है। जो वर्ष 1992 में 32675 हैक्टेयर था, अर्थात बीस वर्षो में 28,324 हैक्टेयर पर वन क्षेत्र बढा है। इसी तरह वन सीकर जिले में 2001 के अनुसार 54803 हैक्टेयर ही था जबकि 2011 में यह 60526 हैक्टेयर हो गया। 10 वर्षो में 6000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर वन क्षेत्र बढा है जो वन विभाग का एक सराहनीय कदम है। इसी प्रकार वन क्षेत्र बढता जायेगा तो जिले में बंजर भूमि में कमी आयेगी। जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल सन् 2011 के अनुसर नीमकाथाना तहसील में 32377 हैक्टेयर है अर्थात लगभग आधा वन क्षेत्र की केवल एक ही तहसील में पाया जाता है। यह पहाडी क्षेत्र होने से अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। सबसे कम वन क्षेत्र लक्ष्मणगढ तहसील में मात्र 1699 हेक्टेयर पर ही पाया जाता है। जो बहुत कम है। वनों को निम्नलिखित तीन वर्गो में वर्गीकृत किया गया है –

1. आरक्षित 2. संरक्षित 3. अवर्गीकृत

1. आरक्षित वनः

वन क्षेत्र का वह भाग जिसमें पशुचारण व ईधन व जरूरती लकडी वन संतुलन के आधार सस्टेनेबल डवलपमेंट टेक्नोलॉजी (सतत विकास पद्वति) के आधार पर प्रशासनिक अनुमति लेकर पशु चारण व इमारती लकडी का उपयोग किया जा सकता है। इसमे ंप्रशासनिक अनुमति के बिना अधिक ईधन, लकडी और पशु चारण नहीं किया जा सकता। स्थानीय उपयोग व खपत के अनुसार नये वन क्षेत्र का लगातार विस्तार अर्थात वृक्षारोपण का उपयोग के आनुपातिक योग में बढाना जारी रखा जाता है।

NOVATEUR PUBLICATIONS
JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN No: 2581 - 4230
VOLUME 7, ISSUE 9, Sep. -2021

2. संरक्षित वनः

वन क्षेत्र का वह भाग जिसमें पशुचारण व ईधन व जरूरती लकडी वन संतुलन के आधार सस्टेनेबल डवलपमेंट टेक्नोलॉजी (सतत विकास पद्वति) के आधार पर प्रशासनिक अनुमति लेकर पशु चारण व इमारती लकडी का उपयोग किया जा सकता है। इसमे ंप्रशासनिक अनुमति के बिना अधिक ईधन, लकडी और पशु चारण नहीं किया जा सकता।

3. अवर्गीकृत वनः

इस प्रकार के वन क्षेत्र जिसमें सरकार और समाज का हस्तक्षेप न के बराबर होता है। सामान्यतः पूर्ण विकसित वन क्षेत्र होता है, जिसका उपयोग स्थानीय लोग पशुचारण, जलाउ ईधन व वन की प्रशासनिक इकाई के उचित मूल्य व अनुमति से इमारती लकडी व अन्य वन सम्पदा का उपयोग किया जा सकता है। अवर्गीकृत वनों का अधिकतम उपयोग पशुचारण गाय, भैस, बकरी व भेड व जलाउ लकडी के रूप में किया जाता है। वन अधिकारी व राज्य सरकार इस प्रकार के वनों को राज्य की जनता के लिए निश्चित समयावधि के पश्चात् सार्वजनिक कर देती है। इस प्रकार के वनों के पेड पौधे पूर्ण विकसित या वयस्क होते है।सीकर जिले में भी वनो का वर्गीकरण किया गया है। जो तालिका संख्या 16 से स्पष्ट है। सीकर जिले में वर्ष 2004–05 में आरक्षित वन कुल वन क्षेत्रफल का 1.55 प्रतिात भाग पर थे जो वर्ष 2011–12 में भी 1.55 प्रतिात पर ही है। वही वर्ष 2004–05 में संरक्षित वन कुल वन क्षेत्रफल के 97.09 प्रतिात भाग पर थे जो वर्ष 2011–12 में कुछ बढ़कर 97.19 प्रतिात भाग पर हो गए। इसी प्रकार सी कर जिले में वर्ष 2004–05 में अवर्गीकृत वन कुल वन क्षेत्रफल के 1.34 प्रतिात भाग पर थे जो वर्ष 2011–12 में कुछ घटकर 1.25 प्रतिात भाग पर रह गया। अतः स्पष्ट है कि वनो की श्रेणियों में लगातार कमी आ रही है जो पर्यावरण सन्तुलन के लिए सही नही है।

NOVATEUR PUBLICATIONS
JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN No: 2581 - 4230
VOLUME 7, ISSUE 9, Sep. -2021

सारणीं संख्या–16: सीकर जिले में वनों का वर्गीकरण

वर्ष	आरक्षित	प्रतिशत	संरक्षित	प्रतिशत	अवर्गीकृत	प्रतिशत	योग
2004–05	9.92	1.55	619.17	97.09	8.59	1.34	637.68
2005–06	9.92	1.55	619.17	97.09	8.59	1.34	637.68
2006–07	9.92	1.55	619.17	97.09	8.59	1.34	637.68
2007–08	9.92	1.55	620.73	97.34	7.03	1.10	637.68
2008–09	9.92	1.55	620.73	97.34	7.03	1.10	637.68
2009–10	9.92	1.55	621.84	97.18	7.84	1.22	639.84
2010–11	9.92	1.55	621.84	97.18	7.84	1.22	639.84
2011–12	9.92	1.55	622.19	97.19	8.02	1.25	640.13

स्रोत : कार्यालय जिला मण्डल वन अधिकारी, सीकर

वनों पर आय व व्यय :

वन पर्यावरण के सन्तुलन के साथ–साथ विभिन्न आर्थिक लाभ भी प्रदान करते है। सरकार द्वारा प्राासन द्वारा इन पर व्यय व इनसे आय का कार्य लगातार चलता है। सीकर जिले में वर्ष 2004–05 में वनों से कुल आय 15 लाख रू थी। वहीं वर्ष 2011–12 में यह आय बढ़कर 22.65 लाख रू हो गई सीकर जिले में वनों पर व्यय मामले में वर्ष 2004–05 में भू–संरक्षक पर 2.37 लाख रू खर्च किये गये। वहीं वर्ष 2011–12 में यह खर्च बढ़कर 6.42 लाख रू हो गया इसी प्रकार वर्ष 2004–05 में वन विकास पर 350.82 लाख रू खर्च किये गये। इसी प्रकार वर्ष 2011–12 में यह खर्च बढ़कर 1022–82 लाख रू हो गया। इसी प्रकार वर्ष 2004–05 में वन स्थापना पर 66.06 लाख रू खर्च किये गये। वहीं वर्ष 2011–12 में यह खर्च बढ़कर 510.68 लाख रू हो गया। इसी प्रकार वर्ष 2004–05 में अन्य वन व्यय पर 222.38 लाख रू खर्च किये गये। वहीं वर्ष 2011–12 में यह बढ़कर 9.68 लाख रू हो गया। अतः स्पष्ट है कि सरकार वनों पर काफी व्यय कर रही है।

वृक्षारोपणः

सीकर जिले में हर साल काफी वृक्ष लगाये जाते है लेकिन उनमें से कम ही वृक्ष जीवित रह पाते है क्योंकि वृक्ष लगाने के बाद उनका पूर्ण पोषण नही हो पाता जिस

कारण वा जीवित नही रह पाते है। सीकर जिले में वृक्षा रोपण तालिका संख्या 17 . से स्पष्ट है। सीकर जिले में वर्ष 2004–05 में 105000 वृक्ष लगाये गये। वहीं इसी वर्ष जीवित वृक्षों की संख्या 85800 रही इसी प्रकार सीकर जिले में वर्ष 2011–12 में 178000 वृक्ष लगाये गये। वहीं इसी वर्ष जीवित वृक्षों की संख्या 152000 रही। अतः स्पष्ट है कि वृक्ष लगाना ही काम नही उसका पूर्ण पोषण करना अति आवयक है।

सारणीं संख्या–17: सीकर जिले में वृक्षा रोपण

वर्ष	वर्ष में लगाये गये वृक्ष	जिवित वृक्ष
2004–05	105000	858000
2005–06	1023000	870000
2006–07	2190000	1982000
2007–08	1790400	1489300
2008–09	130000	103000
2009–10	138000	107100
2010–11	1040000	980043
2011–12	178000	152000
योग	6594400	6541443

स्रोत : कार्यालय जिला मण्डल वन अधिकारी, सीकर

सीकर जिले में भूमि उपयोगः

भूमि उपयोग से तात्पर्य किसी क्षेत्र विोष में उपलब्ध भूमि का किन–किन कार्यों में उपयोग होने से है। सीकर जिले में भूमि उपयोग का विवरण तालिका संख्या 27 से स्पष्ट है। समस्त सीकर जिले के भूमि उपयोग को देखा जाए तो सीकर जिले में कूल क्षेत्रफल के 7.89 प्रतिात भाग पर जंगल स्थित है। इसी प्रकार कृषि अयोग्य भूमि 6.82 प्रतिात क्षेत्र पर है। इसी प्रकार जोर रहित भूमि 11 .26 प्रतिात भाग पर स्थित है। इसी प्रकार वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल के अन्तर्गत 67.53 प्रतिात क्षेत्र स्थित है। इसी प्रकार समस्त बोया गया क्षेत्रफल के अन्तर्गत 89.91 प्रतिात क्षेत्र शामिल है। इसी प्रकार एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र के अन्तर्गत 28.42 प्रतिात क्षेत्र शामिल है। इसी प्रकार तहसीलवा देखा जाए तो सीकर जिले में सर्वाधिक जंगल नीमकाथाना तहसील में 27.24 प्रतिात तक है। वहीं न्यूनतम जंगल

NOVATEUR PUBLICATIONS
JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN No: 2581 - 4230
VOLUME 7, ISSUE 9, Sep. -2021

दातारामगढ़ तहसील में 3.17 प्रतिात तक है। इसी प्रकार सीकर जिले में सर्वाधिक कृषि अयोग्य भूमि नीमकाथाना तहसील में 11.95 प्रतिात तक है। वहीं न्यूनतम कृषि अयोग्य भूमि लक्ष्मणगढ़ तहसील में 3.77 प्रतिात तक है। इसी प्रकार सीकर जिले में सर्वाधिक जोत रहित भूमि नीमकाथाना तहसील में 9.01 प्रतिात तक है। वहीं न्यूनतम जोत रहित भूमि फतेहपूर तहसील में 5.05 प्रतिात तक है। इसी प्रकार सीकर जिले में सर्वाधिक पड़त भूमि फतेहपुर तहसील में 23.10 प्रतिात तक है। वहीं न्यूनतम पड़त भूमि नीमकाथाना तहसील में 6.22 प्रतिात तक है। इसी प्रकार सीकर जिले में सर्वाधिक वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल सीकर जिले में 75.67 प्रतिात तक है। वहीं न्यूनतम वास्तविक बाया गया क्षत्रफल नीमकाथाना तहसील में 45.54 प्रतिात तक है। इसी प्रकार सीकर जिले में सर्वाधिक समस्त बोया गया क्षेत्रफल सीकर तहसील में 98.72 प्रतिात तक है वहीं न्यूनतम समस्त बोया गया क्षेत्रफल फतेहपुर तहसील में 64.81 प्रतिात तक है। इसी प्रकार सीकर जिले में सर्वाधिक एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल सीकर तहसील में 42.84 प्रतिात तक है। वहीं न्यूनतम एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल फतेहपुर तहसीत में 1. 09 प्रतिात तक है।

कृषि अयोग्य भूमिः

सीकर जिले में कृषि अयोग्य भूमि के अन्तर्गत 4.4 प्रतिशत क्षेत्र पाया जाता है। 2001 के अनुसार कृषि अयोग्य भूमि 69297 हैक्टेयर थी जो वर्ष 2011–12 में 51504 हेक्टेयर थी। इस प्रकार 2001 की तुलना में इस क्षेत्र में काफी कमी आई है। ऐसी भूमि को दो भागों में बांटा है –

1. वह भूमि जो कृषि के अतिरिक्त काम में ली गई :

NOVATEUR PUBLICATIONS
JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN No: 2581 - 4230
VOLUME 7, ISSUE 9, Sep. -2021

इस प्रकार की भूमि जिसका उपयोग कृषि कार्यो के अतिरिक्त सडक, रेल मार्ग, उद्योग तथा आवास–निवास आदि के काम में लिया जाता है। इसका क्षेत्रफल जिले में 1991 के अनुसार मात्र 27231 हैक्टेयर ही था। इस क्षेत्र में लगातार धीरे धीरे वृद्धि हो रही है जो 2004–05 में यह 31990 हैक्टेयर था और जो 2011–12 में बढकर 34864 हैक्टेयर हो गया। इसमें लगातार वृद्धि का कारण लगातार बढती जनसंख्या है क्योंकि जनसंख्या के बढने के साथ साथ उसे रहने के लिए, उद्योगों के लिए तथा रेल व सडक यातायात बढाने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है।

2. ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमिः

इस प्रकार की भूमि में वह भूमि सम्मिलित की जाती है जो कृषि के लिए अयोग्य हो चुकी होती है। सीकर जिले में 2004–05 के अनुसार 17699 हैक्टेयर थी जो कुल क्षेत्रफल का 3.5 प्रतिशत था। वर्ष 2012–13 के अनुसार 16432 हैक्टेयर है जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.3 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार ऊसर क्षेत्र में कमी आ रही है।

सारणीं संख्या–18: सीकर जिला में भूमि उपयोग, 2004–05 से 2012–13

वर्ष	कृषि अयोग्य भूमि		योग
	भूमि जो कृषि के अतिरिक्त उपयोग में ली गई	ऊसर व अकृषि योग्य भूमि	
2004–05	31990	17699	49689
2005–06	32590	18299	50889
2006–07	32492	7875	40367
2007–08	32492	17578	50070
2008–09	33524	7990	41514
2009–10	41612	13807	55419
2010–11	44282	13986	58268
2011–12	33967	17537	51504
2012–13	34864	16432	51296

स्रोत : कार्यालय जिला सांख्यिकी अधिकारी, सीकर

स्थाई चारागाह व अन्य गोचर भूमि:

यह भूमि वह भूमि होती है जहां पर पशुओं को चराया जाता है। इस प्रकार की भूमि को कृषि के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसका क्षेत्रफल 2004–05 में 41682 हैक्टेयर था जो 2012–13 में 40710 हैक्टेयर हो गया था। इस प्रकार इस दशक में इसमें कमी आई है क्योंकि काफी क्षेत्रफल को कृषि योग्य बना लिया गया है ।

सारणीं संख्या–19: सीकर जिले में भूमि उपयोग 2004–05 से 2012–13
(स्थाई चारागाह व अन्य गोचर भूमि)

वर्ष	स्थाई चारागाह व अन्य गोचर भूमि	स्थाई चारागाह व अन्य गोचर भूमि का प्रतिशत
2004–05	41682	5.38
2005–06	42282	5.46
2006–07	41284	5.33
2007–08	41284	5.33
2008–09	41284	5.33
2009–10	41225	5.32
2010–11	42809	5.53
2011–12	40683	5.25
2012–13	40710	5.14

स्रोत्र : जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2014

NOVATEUR PUBLICATIONS
JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN No: 2581 - 4230
VOLUME 7, ISSUE 9, Sep. -2021

कृषि योग्य बंजर भूमिः

इस प्रकार की भूमि में वह भूमि सम्मिलित की जाती है जो कृषि योग्य है परन्तु किसी कारणवश इसे खाली छोड दिया जाता है। यह भूमि मजदूरों सिंचाई के साधन, वर्षा आदि के अभाव में तथा न्यायिक कारणों से खाली छोड दी जाती है। यह भूमि 1991 में 15284 हैक्टेयर, 2004–05 में 9443 हैक्टेयर तथा 2011–12 में 9246 हैक्टेयर हो गयी। इसका क्षेत्रफल भी लगातार घटता जा रहा है क्योंकि लगातार नवीन तकनीकी व सिंचाई के साधनों में वृद्धि हो रही है।

सारणीं संख्या–20ः सीकर जिले में भूमि उपयोग 2004–05 से 2012–13
(कृषि योग्य बंजर भूमि)

वर्ष	कृषि योग्य बंजर भूमि	कृषि योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत
2004–05	9443	1.22
2005–06	9443	1.22
2006–07	4580	0.59
2007–08	9857	1.27
2008–09	9857	1.27
2009–10	9615	1.24
2010–11	9347	1.21
2011–12	10065	1.30
2012–13	9246	1.12

स्रोत : जिला सांख्यिकी रूपरेखा, 2014

पडत भूमिः

इसमें उस प्रकार की भूमि को शामिल किया जाता है जिसकी उपजाऊ शक्ति लगातार फसले बोने से घट जाती है तथा मृदा का उपजाऊपन कम अर्थात उदासीन हो जाता है। किसान अपनी जोत की भूमि में इस प्रकार की कम उपजाऊ भूमि को कुछ समय के लिए एक वर्ष या एक फसल चक्र के लिए खाली छोड देता है। इस प्रकार पडत भूमि का लम्बे समय तक कृषि उपयोग नहीं होने से बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार की भूमि की जुताई व उर्वरकों द्वारा मृदा का उपजाऊपन बढाकर कृषि पैदावार बढाई जा सकती है तथा कुछ समय बाद उस

पर पुनः कृषि की जाती है। इस प्रकार की पडत भूमि को भी दो वर्गो में बांटा गया है –

1. चालू पडत भूमि 2. पुरातन पडत भूमि

1. चालू पडत भूमिः

इसमें वह भूमि पाई जाती है जो कुछ ही समय के लिए पडती छोडी जाती है। यह भूमि फसल चक्र के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए या एक फसल चक्र के लिए पडत छोडी जाती है। किसान कम उपजाऊ भूमि को चालू पडत छोड कर इस भूमि की मृदा में उपजाऊपन बढाने हेतु जैविक खाद, गोबर की खाद मवेशियों का रेवड बिठवाता है। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल दांतारामगढ तहसील में 9724 हैक्टेयर तथा सबसे कम 4696 हैक्टेयर नीमकाथाना में पाई जाती है। 2011 के अनुसार 64455 हैक्टेयर तथा सबसे कम 4695 हैक्टेयर नीमका थाना में पाई जाती है। 2011 के अनुसार 64855 हेक्टेयर क्षेत्रफल यह भूमि पाई जाती है जो कुल क्षेत्रफल का 6.35 प्रतिशत है। इस प्रकार पडत भूमि सीकर जिला क्षेत्र में काफी छोडी जाती है जो कुल क्षेत्रफल का 10.26 प्रतिशत हिस्सा है तथा 2011–12 के अनुसार कुल 78439 हेक्टेयर है।

2. पुरातन पडत भूमिः

यह वह भूमि है जिसे एक बार छोडने के बाद पुनः सम्भाला ही नहीं जाता है और लगातार कृषि कार्यो जुताई बुआई से वंचित रखा जाता है। इसका क्षेत्रफल 1991 के अनुसार जिले में 48115 हैक्टेयर था जो 2001 में 41588 हैक्टेयर एवं 2006 में 43263 एवं 2011–12 के अनुसार 45795 हेक्टेयर था। इसमें कभी कमी कभी वृद्धि होती रहती है। यह सबसे कम श्रीमाधोपुर तहसील में मात्र 4261 हैक्टेयर पर पाई जाती है व सर्वाधिक फतेहपुर तहसील में 12526 हैक्टेयर है। इसमें इतने अधिक अन्तर का कारण यह है कि श्रीमाधोपुर में पर्याप्त सिंचाई के साधन पाये जाते है।

इस लिए किसान अपनी कास्त की भूमि को लम्बे समय तक पडत रूप व पुरातन पडत के रूप में नहीं छोड सकता है। जबकि फतेहपुर में सिंचाई के लिए जलाभाव व वर्षा की कमी के कारण भूमि लम्बे समय तक पडत पडी रहती है जो पुरातन पडत का रूप धारण कर लेती है।

REFRENES

1. अग्रवाल एन.एल.(1900) : भारतीय कृषि का अर्थतंत्र, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
2. अग्रवाल एम.डी. एवं ओ.पी. गुप्ता, (2000) : भारत में आर्थिक पर्यावरण, रमेश बुक डिपो, जयपुर
3. अली मोहम्मद (1980) : कृषि उत्पादकता के स्तर में प्रादेशिक असंतुलन
4. अनिता एच.एस.(2002): एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, मंगलदीप पब्लिकोन्स, जयपुर
5. एस्टोन, जे. और एस. जे. रोगर्स(1967) : इकोनोमिक चेन्ज एण्ड एग्रीकल्चर, एडीनवर्ग – ओलिवर एण्ड बोयड
6. बघेल, महिपाल सिंह व रामोतार पोरवाल(1991) : आधुनिक कृषि विज्ञान, राजस्थान प्रकाान, जयपुर
7. भरारा, एल.पी. एक्सेट्रा आल(1974) : समसोसियो–एग्रीकल्चर चैन्जेज एज ए रीजल्ट ऑफ इन्ट रोडम्स ऑफ इरिगेान ए डेजर्ट रीजन एलालस ऑफ एरिड जान Vol. 13 पृ. 1.10